सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 04, शुक्रवार, शाके 1943–जून 25, 2021 *Asadha 04, Friday, Saka 1943- June 25, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।

अधिसूचना

उदयपुर, जून 25, 2021

संख्या युडीआर/1120/एम.पी./डूँगरपुर/ :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डूँगरपुर मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र हेतु दिनांक 10.01.2017 को जारी अधिसूचना में डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्राम अन्दरखेत, खेरी, वीरपुर, खापरडा, चक खापरडा -II, भण्डारिया, तीजवड़, बोरी, बालाडीट, भीलवटा व सती को पूर्ण रूप से तथा राजस्व ग्राम सुरपुर (गांगरी नदी के पश्चिम दिशा का भाग) व पादरडी (दो नदी के उत्तर-पश्चिमी दिशा का भाग) को विलोपित करते हुए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत डूँगरपुर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप डूँगरपुर मास्टर प्लान-2031 के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैः-

<u>राजस्व ग्रामों की सूची</u>

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	REVENUE VILLAGE
1	डूँगरपुर खास	DUNGARPUR KHAS
2	चक डूँगरपुर	CHAK DUNGARPUR
3	राजपुर	RAJPUR
4	फतेहपुरा	FATEHPURA
5	नवाडेरा	NAWADERA
6	उदेपुरा	UDAIPURA
7	चक उदेपुरा	CHAK UDAIPURA
8	पातापुर	PATAPUR
9	गोकलपुरा	GOKALPURA
10	कुशाल मगरी	KUSHAL MAGRI
11	सीयालदरी	SIYALDARI

12	बीलडी	BEELRI
13	शिवपुरा	SHIVPURA
14	मालपुर	MALPUR
15	ददोडिया	DADORIYA
16	भाटपुर	BHATPUR
17	पादरडी (दो नदी के दक्षिण-पूर्वी दिशा का भाग)	PADARDI (SOUTH-EASTERN PART OF DO NADI)
18	सुरपुर (गांगरी नदी के पूर्वी दिशा का भाग)	SURPUR (EASTERN PART OF GANGRI RIVER)

डूँगरपुर मास्टर प्लान-2031 (प्रारूप) के संबंध में दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 26.07.2021 तक 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अपनी आपत्ति एवं सुझाव नगर परिषद, डूँगरपुर अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर अथवा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को भी प्रस्तुत कर सकते है। निजी भूमि धारकों द्वारा स्वंय की भूमि पर निजी स्कूल, कालेज, अस्पताल, नर्सिग होम इत्यादि सुविधाओं हेतु सुझाव/प्रस्ताव भी दिए जा सकते है। मास्टर प्लान (प्रारूप) का उक्त समयावधि में कार्यालय समय में कार्यालय नगर परिषद, डूँगरपुर में अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर परिषद, डूँगरपुर से क्रय किये जा सकते है।

अरविन्द सिंह कानावत,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
उदयपुर जोन, उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।